



प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त का कार्यालय,
आन्ध्र प्रदेश एवं तेलंगाना, हैदराबाद
Office of the Principal Chief Commissioner of Income Tax
Andhra Pradesh & Telangana
9वीं मंजिल, 'डी' ब्लॉक, आयकर शिखर, ए.सी. गार्ड्स, हैदराबाद-500004
9th Floor, 'D' Block, IT Towers, AC Guards, Hyderabad-500004

फा.सं./प्रमुआआ/हैद./रा.भा./32/धारा 3(3)/2021-22

दिनांक: 20.12.2021

सेवा में,
आयकर उपायुक्त (मुख्यालय) (प्रशासन)
कार्यालय प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त
हैदराबाद,

विषय :- स्थानांतरण एवं तैनाती संबंधी द्विभाषी आदेशों को वेबसाइट पर अपलोड किये जाने के संबंध में ।

महोदय ,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में सादर सूचित करना है कि आपके कार्यालय से प्राप्त स्थानांतरण एवं तैनाती संबंधी आदेश संख्या आदेश संख्या 37 दिनांक 16.12.2021 एवं आदेश संख्या 38 दिनांक 16.12.2021 का हिंदी अनुवाद इस पत्र के साथ संलग्नित करते हुए आपके सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रेषित किया जाता है ।

भवदीय

संलग्नक : यथोपरि / उपर्युक्त

(सुनील कुमार विभूते)
सहायक निदेशक (राजभाषा)
कार्यालय प्र.मु.आ.आ., हैदराबाद



प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त का कार्यालय,

आन्ध्र प्रदेश एवं तेलंगाना

Office of the Principal Chief Commissioner of Income Tax

Andhra Pradesh & Telangana

10वीं मंजिल, 'सी' ब्लॉक, आयकर शिखर, ए.सी. गार्ड्स, हैदराबाद-500004

10th Floor, 'C' Block, IT Towers, AC Guards, Hyderabad-500004

टेलिफोन -040 : 23425474, फैक्स 23241427, फैक्स 040-23240403

Tel. No. – 04023425474, Fax 23241427, Fax 040-23240403

फ.सं.प्र.मु.आ.आ./4(6)/स्थापना/आ.अ/2021

दिनांक: 16.12.2021

विषय : स्थापना - आयकर विभाग, हैदराबाद, आयकर अधिकारी का स्थानान्तरण
एवं तैनाती आदेश - जारी - करने के संबंध में।

आदेश संख्या - 37/2021

एतद्वारा आयकर अधिकारियों का स्थानान्तरण व तैनाती आदेश तत्काल प्रभाव से
अगले आदेश तक जारी किया जाता है।

क्र.स.	कर्मचारी का नाम श्री./श्रीमती/सुश्री	से स्थानांतरित	को स्थानांतरित
1.	अन्कम्मा राव पलपार्थी	आयकर अधिकारी, वार्ड -1, मचलीपट्टणम	आरईएफएसी-एयू-1(4)(5), विशाखापट्टणम, विजयवाड़ा में स्थित
2.	वेंकटा रामचंद्र पी.	आरईएफएसी-एयू-1(4)(5), विशाखापट्टणम, विजयवाड़ा में स्थित	आयकर अधिकारी., वार्ड -1, मचलीपट्टणम
3.	अल्ताफ अहमद	आयकर अधिकारी, आरईएफएसी - (एयू)-3(2)(3), हैदराबाद	आयकर अधिकारी, आरईएफएसी- (आरयू)1(2)(3), हैदराबाद
4.	रमन मूर्ति जी.	आयकर अधिकारी (छूट)-4, हैदराबाद	आयकर अधिकारी, वार्ड -1, सूर्यपेट
5.	श्रीधर एसपी	आयकर अधिकारी, वार्ड -1, सूर्यपेट	आयकर अधिकारी, आरईएफएसी- (एयू)-3(2)(3), हैदराबाद

उपरोक्त के अतिरिक्त, अगले आदेश तक निम्नलिखित अतिरिक्त प्रभार की व्यवस्था की
गई है।

क्र.स.	कर्मचारी का नाम श्री./श्रीमती/सुश्री	से स्थानांतरित	को स्थानांतरित
1.	विजय कुमार सिद्दाम	आयकर अधिकारी (छूट)-1, हैद.	आयकर अधिकारी (छूट)-4, हैदराबाद

2. कार्यालय प्रमुख स्थानान्तरण आदेशाधीन अधिकारियों को दिनांक 08.12.2021 तक अनिवार्य रूप से कार्यमुक्त करें ।
3. यदि किसी अधिकारी को उक्त तिथि से आगे भी रोकने की आवश्यकता है तो, कार्यालय प्रमुख को प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, आंध्र प्रदेश व तेलंगाना, हैदराबाद से पूर्व लिखित अनुमोदन लेना होगा ।
4. स्थानान्तरण आदेशाधीन अधिकारियों को उनके सक्षम प्राधिकारी द्वारा अर्जित छुट्टी मंजूर नहीं की जायेगी। जिनके अधीन वे वर्तमान में कार्यरत हैं। यदि कोई छुट्टी आवेदन तो उसे नई तैनाती कार्यालय को आवश्यक कार्रवाई के लिए अग्रोषित किया जाए।
5. कार्यालय प्रमुखों को यह निदेश दिया जाता है कि अधिकारियों को कार्यमुक्त/ कार्यभार ग्रहण संबंधी अनुपालन रिपोर्ट अलग से दिनांक 10.12.2021 तक भेजी जाए ताकि कार्यालय रिकॉर्ड में आकड़े अद्यतन रखी जा सकें। कार्यालय प्रमुख को अनुपालन रिपोर्ट में यह प्रमाणित करना होगा कि अधिकारी को कार्यमुक्त करते समय उनके स्थान पर तैनात अधिकारी को कार्यभार सौंपने संबंधी यथोचित नोट प्रस्तुत किया गया है । यह भी नोट करें कि अधिकारियों का वार्षिक कार्य-निष्पादन रिपोर्ट (APAR) संबंधित रिपोर्टिंग अधिकारियों को भेज दिया गया है ।
6. यदि कोई अभ्यावेदन हो तो अपने नये तैनात कार्यालय में पदभार ग्रहण करने के बाद अधिकारी को उक्त कार्यालय में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करना होगा। पुराने तैनात कार्यालय में उस पर विचार नहीं किया जायेगा।
7. आयकर विभाग आन्ध्र प्रदेश व तेलंगाना क्षेत्र के समूह "बी" (राजपत्रित) की स्थानान्तरण नीति के खंड V के अनुसार जबतक कार्यमुक्त तिथि से पहले स्थानान्तरण आदेश स्वतः या अभ्यावेदन पर रद्द नहीं किया जाता है। स्थानान्तरित अधिकारी को आदेश में उल्लेखित नियत तिथि पर कार्यमुक्त माना जायेगा। यह स्पष्ट हो कि स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत अभ्यावेदन पर स्थानान्तरण आदेश की अवहेलना में अधिकारी को पूर्व पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं होगा। इसके मद्दे नजर किसी कर्मचारी को नियत तिथि तक कार्यमुक्त नहीं किया जाता है तो उसे अगले कार्य दिवस से कार्यमुक्त माना जायेगा। उस अधिकारी को पिछले पद पर बने रहने का अधिकार प्रदान नहीं करता है। इसे देखते हुए किसी अधिकारी को कार्यमुक्त नहीं किया जाता है तो अगले दिन तक उसे कार्यमुक्त समझा जायेगा।
8. प्राप्त सभी अभ्यावेदनों का निपटान किया गया है।

9. इसे प्र.मु.आ.आ., आन्ध्र प्रदेश व तेलंगाना, हैदराबाद के पूर्व अनुमोदन से जारी किया जाता है।

हस्ता/-

(सी.वी. पवन कुमार)

आयकर आयुक्त (प्रशासन एवं करदाता सेवाएँ)

आन्ध्र प्रदेश एवं तेलंगाना हैदराबाद

प्रतिलिपि:

1. सम्बन्धित कर्मचारी
2. मुख्य आयकर आयुक्त , आरईएफएसी/ हैदराबाद, विजयवाड़ा / विशाखापट्टनम एवं आयकर महानिदेशक (अन्वे), , हैदराबाद
3. आन्ध्र प्रदेश एवं तेलंगाना क्षेत्र में सभी प्र.आ.आ./आ.आ./प्र.आ.नि./आ.नि.
4. आन्ध्र प्रदेश एवं तेलंगाना क्षेत्र में कार्यालयों के सभी प्रमुख
5. सचिव, भारा.से. अधिकारी संघ, आई.टी.जी.ओ.ए., आ.प्र. एवं तेल. इकाई/आई.टी.एस.ई.डब्लू.ए., आई.टी.ओ.बी.सी. एसोसियेशन , हैदराबाद
6. क्षेत्रीय लेखा अधिकारी, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, हैदराबाद
7. स्टॉक फाइल/निजी फाइल/डाटा बेस फाइल
8. हैदराबाद के प्र.मु.आ.आ. कार्यालय के अधीन सभी अनुभाग

पी. कृष्ण कुमार

(पी. कृष्ण कुमार)

आयकर उपायुक्त (मुख्यालय)(प्रशा.)

प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त का कार्यालय,

हैदराबाद



प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त का कार्यालय,

आन्ध्र प्रदेश एवं तेलंगाना

Office of the Principal Chief Commissioner of Income Tax

Andhra Pradesh & Telangana

10वीं मंजिल, 'सी' ब्लॉक, आयकर शिखर, ए.सी. गार्ड्स, हैदराबाद-500004

10th Floor, 'C' Block, IT Towers, AC Guards, Hyderabad-500004

टेलिफोन -040 : 23425474, फैक्स 23241427, फैक्स 040-23240403

Tel. No. - 04023425474, Fax 23241427, Fax 040-23240403

फ.सं.प्र.मु.आ.आ./4(9)(सी)/स्थापना/2021

दिनांक: 16.12.2021

विषय : स्थापना - आयकर विभाग, हैदराबाद, आयकर निरीक्षक का स्थानान्तरण
एवं तैनाती आदेश - जारी - करने के संबंध में।

आदेश संख्या - 38/2021

एतद्वारा आयकर निरीक्षक कर्मियों का स्थानान्तरण व तैनाती आदेश तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक जारी किया जाता है।

इंटर-स्टेशन

क्र.स.	कर्मचारी का नाम (श्री/श्रीमती/सुश्री)	से स्थानांतरित	को स्थानांतरित
1.	अविनाश कोदूरी	प्र.आ.नि.(अन्वे), हैदराबाद	आयकर कार्यालय, वारंगल
2.	पंकज कुमार झा	आयकर कार्यालय, वारंगल	आ.आ. (अपील इकाई)-2, हैदराबाद
3.	मीठा लाल मीना	प्रधान आयकर.आ., तिरुपति	आ.आ. (अपील इकाई)-6, हैदराबाद

स्थानीय

क्र.स.	कर्मचारी का नाम (श्री/श्रीमती/सुश्री)	से स्थानांतरित	को स्थानांतरित
1.	पी. सायडूल नायक	आ.अ.आ., टीडीएस रेंज-1, हैदराबाद	प्र.आ.आ. (सेंट्रल), हैदराबाद
2.	सुनीता पोद्दार	प्र.आ.आ. (सेंट्रल), हैदराबाद	आ.अ.आ., टीडीएस रेंज-1, हैदराबाद
3.	बी. सुमेत रेड्डी	आ.आ. (अपील इकाई)-2, हैदराबाद	आ.अ. (आरईएफएसी)(आरयू) - 1(3)(4), हैदराबाद
4.	राजेश कुमार	आ.अ. (आरईएफएसी)(आरयू) - 1(3)(4), हैदराबाद	आ.अ.आ. (आई व सीआई), हैदराबाद

5.	मो. रिजवान अंसारी	आ.अ. (आरईएफएसी)(आरयू) - 1(1)(5), हैदराबाद	टी.आर.ओ.-2, प्र.आ.आ.-2 का कार्यालय, हैदराबाद
6.	चंद्र गुप्त एम. एस.	आ.अ.आ. (लेखापरीक्षा), हैदराबाद	आ.आ. (लेखापरीक्षा), हैदराबाद
7.	सुरेखा गंटा	आ.आ. (लेखापरीक्षा), हैदराबाद	आ.अ.आ. (लेखापरीक्षा), हैदराबाद
8.	नल्ली मानसा	आ.आ. (अपील इकाई)-6, हैदराबाद	आ.अ.आ. (छूट), हैदराबाद

2. सभी कार्यालय प्रमुख स्थानान्तरण आदेशाधीन कर्मचारियों को दिनांक 08.12.2021 तक अनिवार्य रूप से कार्यमुक्त करें ।

3. यदि किसी कर्मचारी को उक्त तिथि से आगे भी रोकने की आवश्यकता हैं तो, कार्यालय प्रमुख को प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, आंध्र प्रदेश व तेलंगाना, हैदराबाद से पूर्व लिखित अनुमोदन लेना होगा ।

4. स्थानान्तरण आदेशाधीन कर्मचारियों को उनके सक्षम प्राधिकारी द्वारा अर्जित छुट्टी मंजूर नहीं की जायेगी। जिनके अधीन वे वर्तमान में कार्यरत है। यदि कोई छुट्टी आवेदन तो उसे नई तैनाती कार्यालय को आवश्यक कार्रवाई के लिए अग्रेषित किया जाए।

5. कार्यालय प्रमुखों को यह निदेश दिया जाता है कि कर्मचारियों को कार्यमुक्त/ कार्यभार ग्रहण संबंधी अनुपालन रिपोर्ट अलग से दिनांक 10.12.2021 तक भेजी जाए ताकि कार्यालय रिकॉर्ड में आकड़े अद्यतन रखी जा सकें। कार्यालय प्रमुख को अनुपालन रिपोर्ट में यह प्रमाणित करना होगा कि कर्मचारी को कार्यमुक्त करते समय उनके स्थान पर तैनात कर्मचारी को कार्यभार सौंपने संबंधी यथोचित नोट प्रस्तुत किया गया है । यह भी नोट करें कि कर्मचारियों का वार्षिक कार्य-निष्पादन रिपोर्ट (APAR) संबंधित रिपोर्टिंग अधिकारियों को भेज दिया गया है ।

6. यदि कोई अभ्यावेदन हो तो अपने नये तैनात कार्यालय में पदभार ग्रहण करने के बाद कर्मचारी को उक्त कार्यालय में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करना होगा। पुराने तैनात कार्यालय में उस पर विचार नहीं किया जायेगा।

7. आयकर विभाग आन्ध्र प्रदेश व तेलंगाना क्षेत्र के समूह "बी" (अराजपत्रित) एवं समूह "सी" (कारचालकों के अतिरिक्त) की स्थानान्तरण नीति के खंड IV के अनुसार जबतक कार्यमुक्त तिथि से पहले स्थानान्तरण आदेश स्वतः या अभ्यावेदन पर रद्द नहीं किया जाता है। स्थानान्तरित कर्मचारी को आदेश में उल्लेखित नियत तिथि पर कार्यमुक्त माना जायेगा। यह

स्पष्ट हो कि स्थानांतरण आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत अभ्यावेदन पर स्थानांतरण आदेश की अवहेलना में कर्मचारी को पूर्व पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं होगा। इसके मददे नजर किसी कर्मचारी को नियत तिथि तक कार्यमुक्त नहीं किया जाता है तो उसे अगले कार्य दिवस से कार्यमुक्त माना जायेगा। उस कर्मचारी को पिछले पद पर बने रहने का अधिकार प्रदान नहीं करता है। इसे देखते हुए किसी कर्मचारी को कार्यमुक्त नहीं किया जाता है तो अगले दिन तक उसे कार्यमुक्त समझा जायेगा।

8. प्राप्त सभी अभ्यावेदनों का निपटान किया गया है।

9. इसे प्र.मु.आ.आ., आन्ध्र प्रदेश व तेलंगाना, हैदराबाद के पूर्व अनुमोदन से जारी किया जाता है।

हस्ता/-

(सी.वी. पवन कुमार)

आयकर आयुक्त (प्रशासन एवं करदाता सेवाएँ)

आन्ध्र प्रदेश एवं तेलंगाना हैदराबाद

प्रतिलिपि:

1. सम्बन्धित कर्मचारी
2. आयकर महानिदेशक (अन्वे), हैदराबाद एवं मुख्य आयकर आयुक्त, हैदराबाद
3. मुख्य आयकर आयुक्त (आरईएफएस) विजयवाड़ा / विशाखापट्टनम
4. आन्ध्र प्रदेश एवं तेलंगाना क्षेत्र में सभी प्र.आ.आ./आ.आ./प्र.आ.नि./आ.नि.
5. आन्ध्र प्रदेश एवं तेलंगाना क्षेत्र में कार्यालयों के सभी प्रमुख
6. सचिव, आई.टी.ई.एफ., आ.प्र. एवं तेलं. इकाई/आई.टी.एस.ई.डब्लू.ए., आई.टी.ओ.बी.सी. एसोसियेशन, हैदराबाद
7. क्षेत्रीय लेखा अधिकारी, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, हैदराबाद
8. स्टॉक फाइल/निजी फाइल/डाटा बेस फाइल
9. हैदराबाद के प्र.मु.आ.आ. कार्यालय के अधीन सभी अनुभाग

पी कृष्ण कुमार

(पी. कृष्ण कुमार)

आयकर उपायुक्त (मुख्यालय)(प्रशा.)

प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त का कार्यालय,

हैदराबाद